

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
16/35/2025

रजिस्टर्ड नम्बर  
2025/46

प्रवेश तिथि  
08.01.2025

निर्णय दिनांक  
13.05.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

## बनाम

1. भोकल पुत्र सुकला जाति चमार सा0 सावडी – मृतक।

1/1—सोनबाई पत्नी स्व. भोकल,

1/2—विजय पुत्र स्व. भोकल,

1/3—महेन्द्र पुत्र स्व. भोकल,

निवासीयान ग्राम साहोडी तहसील व जिला अलवर राज0।

1/4—धौली देवी पुत्री स्व. भोकल पत्नी अमर सिंह निवासी ग्राम बिजोपुर तह0 व जिला अलवर राज0।

1/5—सुनीता देवी पुत्री स्व. भोकल पत्नी सुरेशचंद निवासी ग्राम सुमेल तहसील व जिला अलवर राज0।

1/6—सन्तो पुत्री स्व. भोकल पत्नी हुकम निवासी ग्राम बिजोपुर तहसील व जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)

भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

02— अप्रार्थी अनुपस्थित।

—वकील प्रार्थी

## —निर्णय:—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम-14 (4) भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम ढहलावास, तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न0 1125 रकबा 0.38 है0, 1146 रकबा 0.38 है0 कुल रकबा 0.76 है0 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नं. 1125 रकबा 0.38 है0, 1146 रकबा 0.38 है0 कुल रकबा 0.76 है0 हेक्टेयर किस्म बारानी-2 भूमि वाके ग्राम ढहलावास, तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटन का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का ढहलावास की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काशत नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

आ. रजि. जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)

उक्त आराजी राजस्व ग्राम ढहलावास तहसील अलवर में स्थित है तथा ग्राम ढहलावास राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34)वन/2007 दिनांक 09.07.2012 से सरिस्का व्याघ्र आरक्षित के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र है। अतः श्रीमान प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी हाल खसरा नं. 1125 रकबा 0.38 है0, 1146 रकबा 0.38 है0 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 भूमि वाके ग्राम ढहलावास, तहसील अलवर का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।


अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं, के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर प्रार्थी की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त विवादित आवंटित आराजी साबिक खसरा नंबर 628 मी. रकबा 3 बीघा व हाल खसरा नं 1125 रकबा 0.38 है0, 1146 रकबा 0.38 है0 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि के आवंटी/अप्रार्थी भोकल पुत्र सुकला कौम चमार सा. सावडी हिस्सा पूर्ण गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 175 दिनांक 30.05.77 द्वारा साबिक खसरा नंबर 628 मी. रकबा 3 बीघा व हाल खसरा नं 1125 रकबा 0.38 है0, 1146 रकबा 0.38 है0 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि का भोकल पुत्र सुकला कौम चमार सा. सावडी हिस्सा पूर्ण गैर खातेदार का दर्ज व स्वीकृत किया गया। पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा/आराजी पर मूल आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तथा दीगर व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। उक्त आवंटन राजस्व ग्राम ढहलावास तहसील अलवर में किये गये हैं, जो राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/घोषित है। बफर क्षेत्र घोषित होने के कारण राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के अनुसार आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी भोकल पुत्र सुकला कौम चमार सा. सावडी तहसील व जिला अलवर एवं बाद आवंटी वारिसानों को हाल खसरा नंबर 1125 रकबा 0.38 है0, 1146 रकबा 0.38 है0 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि का किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(बीना महावर)  
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)